रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 1977/पौष 29, 1898
No. 23] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 1977/PAUSA 29, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 19th January 1977

S.O. 31(E)718FB/IDRA/77.—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No S.O. 72(E)/18FB/IDRA/74, dated the 29th January, 1974 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. Hind Cycles Limited Bombay (Bombay unit), or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period,

And, whereas, the duration of the said Order was extended upto the 28th January, 1977,

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year upto and inclusive of the 28th January, 1978,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 28th January, 1978

[No F 2(16)/73-CUC]

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1977

का० आ० 31(अ)/18चख/उ० वि० वि० अ०/77.—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 72(अमा०)/18चख उ० वि० वि० अ०/74, तारीख 29 जनवरी 1974 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा यह घोषित किया था कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी सविदाओ सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रो, करारो, व्यवस्थापनो, पचाटो, स्थायी आदेशो या अन्य लिखतो का (उनसे भिन्न, जो बैको और वित्तीय सस्थाओ के प्रतिभूत दायित्वो से सबधित है), जिसको मैसर्स हिन्द साइकिल लिमिटेड, मुम्बई (मुम्बई यूनिट) नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम की स्वामी कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू किए जा सकते है, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोदभूत या उदभुत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताए तथा दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेगे ।

और उक्त आदेश की कालावधि 28 जनवरी, 1977 तक बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की कालावधि 28 जनवरी, 1978 तक जिसमे वह दिन भी सम्मिलित है, को और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अत , अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की कालावधि 28 जनवरी 1978 तक, जिसमे वह दिन भी सम्मिलित है बढाती है ।

[स० फा० 2 (16)/73-सी० यू० सी०]

S.O 32(E)/18FB/IDRA/77.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No S O 71(E)/18FB/IDRA/74, dated the 29th January, 1974, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the

said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Hind Cycles Limited, Bombay (Ghaziabad Unit), or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period,

And, whereas, the duration of the said Order was extended upto the 28th January, 1977,

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year upto and inclusive of the 28th January, 1978,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 28th January, 1978

[No F. 2(16)/73-CUC]
A K GHOSH, Addl. Secy.

का० आ० 32(अ) 18 चख/उ०वि०वि अ० 77.—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश स० का० आ० 71 (असा०) 18 चख/उ० वि० वि० अ०, 74 तारीख 29 जनवरी, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा यह घोषित किया था कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) जिसकी मैसर्स हिन्द साइकिल लिमिटेड, मुम्बई (गाजियाबाद यूनिट) नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम की स्वामी कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू किए जा सकते है, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे,

और उक्त आदेश की कालावधि 28 जनवरी, 1977 तक बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की कालावधि 28 जनवरी, 1978 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए,

अत, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख कि उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की कालावधि 28 जनवरी, 1978 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[स० फा० 2 (16)/73/सी० यू० सी०]
ए० के० घोष, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977